कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर

मिसल नं0 140/16-5-18

अन्तर्गत धारा 111—128 आरटीए

निर्णय दिनांक:— 16-5-2018

:: निर्णय ::

प्रार्थी श्री अरजन s/o बालुभाण कोषार

जति भील उम्र व्यस्क नि0 आसपुर तहसील डूंगरपुर ने न्याय आपके द्वार अभियान 2018 लोक अदाजत [illegible] दिनांक 16-5-2018 को इस आशय का एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 ले0रे0एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की मौजा आसपुर पंचायत समिति डूंगरपुर में स्थित खाता संख्या 92 पर आराजी नं0 828/381 .... बिस्वा किता 1 योग रकबा 10 बीघा पर प्रार्थी मालिक काबिज होकर कृषि काश्त करता आ रहा है और अप्रार्थीगण से आये दिन सीमा (हेडे, पारी) की बात को लेकर विवाद होता है। करते है और लडाई झगडा करते है। इस वजह से प्रार्थी अपनी उक्त आराजी पर पत्थरगढी कराना चाहता है। जिस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी [illegible] नि0 आसपुर ने भी पत्थरगढी करने की सहमति दी है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम आसपुर के खसरा नं0 782 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 1 योग रकबा 2-11 बीघा की जमाबंदी सम्वत् 2072-75 की प्रमाणित प्रति भी संलग्न की है।

पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रार्थी द्वारा नक्शा ट्रेस एवं जमाबंदी प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार प्रार्थी खातेदार काश्तकार है ओर विपक्षीगणों द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध नही किया गया एवं सहमति प्रदान की गई है। इस प्रकार मौजा आसपुर में स्थित खाता संख्या 92 पर आराजी नं.0 828/381 रकबा 10 बीघा कुल किता 01 कुल रकबा 10 बीघा की पत्थर गढी कराने का हकदार है।

लिहाजा मौजा आसपुर मे स्थित खाता संख्या 92 पर आराजी नं.0 828/381 .... रकबा 10 बीघा कुल किता 1 कुल रकबा 10 बीघा [illegible] की पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदा, डूंगरपुर भू0अ0 निरीक्षक.......... विवादग्रस्त .... के नैतृत्व में टीम गठीत कर बिना किसी अन्य खातेदार के खाते को डिस्र्टब किये पत्थर गढी की जावे। तहसीलदार, डूंगरपुर को तहरीर जारी हो पत्थरगढी शुल्क रू0 600/- प्रार्थी स्वंय राजकोष में जमा करावे तभी पत्थरगढी की जावे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी

डूंगरपुर